




सै कार्यवाही पेठिडा रखी जाती है। पत्रावली
वास्ते आगामी आदेश मा. रा. मं. अजमेर
व जवाब प्रा. पत्र (0)। (R) 10 दी. प्र. सं.
दिनांक 10/10/2024 को पैसा है। 
S.D.O


10/10
2024

पत्रावली पैसा हुई। प्राची परीकार सरकार
अपस्थित। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पेठिडा
रखी जाती है। पत्रावली वास्ते आगामी आदेश
मा. रा. मं. अजमेर व जवाब प्रा. पत्र (0)।
(R) 10 दी. प्र. सं. दिनांक 26/11/2024 को
पैसा है। 
S.D.O

26/11
2024

पत्रावली पैसा हुई। प्राची परीकार सरकार
अपस्थित। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर का स्थगन होने से कार्यवाही पेठिडा
रखी जाती है। पत्रावली वास्ते आगामी आदेश
मा. रा. मं. अजमेर व जवाब प्रा. पत्र (0)।
(R) 10 दी. प्र. सं. दिनांक 03/12/2024 को
पैसा है। 
S.D.O

03/12
2024

पत्रावली पैसा हुई। उभय पक्ष अपस्थित। वकील अप्रार्थी
ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का
स्थगन होने से पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज
किये जाने का निर्दिष्ट किया। पत्रावली में शामिल
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अकरण में 
S.D.O

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

राज्य : चित्तौड़ न्यायालय रावतभाटा

बनाम

देवा पिता नारायण बलई

केसम मुकदमा : राजराज

नं०

०७

सन् २०२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किए, आगामी आदेशों तक प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आगामी आदेश पारित होने तक पत्रावली को इसी स्तर पर पेड़िठा रखी जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आगामी आदेश पारित होते तक पत्रावली को पेड़िठा रखी जाकर कुल शुमार ही दर्ज रजिस्टर से कम की जाती है। पत्रावली शामिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	